महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड का कार्यालय, राँची- 834002

का.आ.सं- रा.भा.अ./ले.प./जाँच बिन्द्/43/2024-25/11 दिनांक: 11-06-2024

कार्यालय आदेश

विषय: राजभाषा विभाग के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जाँच बिन्दुओं की स्थापना- के संबंध में।

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 में केंद्रीय सरकार के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए विभिन्न उपबंधों तथा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर, राजभाषा नीति को कार्यान्वित करते हुए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा नियम, 12 के अनुसार महालेखाकार महोदय के अनुमोदन से निम्नलिखित जाँच बिन्द्ओं की स्थापना की जाती है-

	140 9311 47 (41 1011 47 011(11 8		
क्र.सं.	कार्य का मद	जाँच बिन्दु / अनुपालन का उत्तरदायित्व	
1.	धारा- 3(3) का अनुपालन	ऐसे अधिकारी, जो राजभाषा अधिनियम, 1963	
		की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले किसी	
		कागजात (सामान्य आदेश- जिसमें कार्यालय	
		आदेश, परिपत्र, ज्ञापन, सूचना शामिल हैं,	
		संकल्प, अधिसूचना, नियम, प्रशासनिक या अन्य	
		प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संसद के समक्ष प्रस्तुत	
		किए जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन,	
		संविदा, करार, निविदा सूचना, निविदा प्रारूप,	
		अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र शामिल हैं) पर हस्ताक्षर	
		करेंगे, वे अधिकारी ही जाँच बिन्दु का कार्य करेंगे	
		और सुनिश्चित करेंगे कि जारी किए जाने वाले	
		कागजात अनिवार्य रूप से दिवभाषी (हिंदी व	
		अंग्रेजी) जारी हो रहे हैं।	
2.	राजभाषा नियम, 1976 नियम-	ऐसे अधिकारी, जिनसे हिंदी में प्राप्त पत्रों के	
	5 का अनुपालन	उत्तर देना अपेक्षित है, वे ही जाँच बिन्दु का कार्य	
		करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हिंदी में प्राप्त पत्रों	
		के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाएं।	
3.	नियम-11 का अनुपालन- कोडों	संबंधित शाखा अधिकारी जाँच बिन्दु का कार्य	
	(संहिताएँ), मैनुअलों, फॉर्मी और	करेंगे। ऐसे दस्तावेज़ों के अनुवाद कार्य हेतु केन्द्रीय	
I	1	ı	

	गज़ट की सामग्री का दि्वभाषी	अनुवाद ब्यूरो को अधिकृत किया गया है।
	(हिंदी और अंग्रेजी) प्रकाशन	इसलिए, इसे समय पर उपलब्ध करवाया जाना
		चाहिए। ताकि, सामग्री का दि्वभाषी (हिंदी और
		अंग्रेजी) प्रकाशन सुनिश्चित किया जा सके।
4.	नागरिक चार्टर, जन सूचना	इन सभी सामग्रियों को दि्वभाषी रूप में जारी
	बोर्ड, नामपट्ट, विजिटिंग कार्ड,	करने के लिए संबंधित सहायक लेखापरीक्षा
	रजिस्टर, रबड़ की मोहरें, सीलें,	अधिकारी/ शाखा अधिकारी जाँच बिन्दु का कार्य
	कार्यालय में प्रयोग होने वाले	करेंगे।
	लिफाफे, लोगो, वाहनों पर	
	कार्यालय का विवरण, बैज-	
	बिल्ले आदि शत-प्रतिशत	
	द्विभाषी रूप में जारी करना।	
5.	हिंदी पुस्तकों की खरीद	शाखा अधिकारी (अभिलेख एवं सामान्य अनुभाग)
		जाँच बिन्दु का कार्य करेंगे और सुनिश्चित करेंगे
		कि पुस्तकों की खरीद (जर्नल और मानक संदर्भ
		पुस्तकों को छोड़कर) पर खर्च की जाने वाली कुल
		राशि का 50% हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च
		की जा रही है।
6.		i) संबंधित शाखा अधिकारी/समूह अधिकारी जो
		इन पर हस्ताक्षर करते हैं और इन्हें जारी करते हैं।
		ii) <u>डाक डिस्पैच</u> : ऐसे पत्रों को तभी स्वीकार किया
		जाए, जब वे हिंदी में हों या उनका हिंदी अनुवाद
	<u> </u>	साथ हो।
7.		संबंधित शाखा अधिकारी ही जाँच बिन्दु का कार्य
	(संसदीय प्रश्नावली)	करेंगे और प्रयत्न करेंगे कि राजभाषा हिंदी के
		प्रचार/प्रसार के दृष्टिकोण से 'क', 'ख' एवं 'ग'
		क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए
0		जाएं।
8.	1	संबंधित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ही जाँच
		बिन्दु का कार्य करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि
		उनके अनुभाग/प्रकोष्ठ में फ़ाइलों के नाम तथा उनिस्टरों के शीर्षक दिवशकी (हिंटी और संग्रेनी)
	और प्रविष्टियां हिंदी में करना	रजिस्टरों के शीर्षक दि्वभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) हैं और प्रविष्टियाँ हिंदी में की जा रही हैं।

फाइलों पर टिप्पणी संबंधित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ही जाँच 9. बिन्द् का कार्य करेंगे। हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कार्मिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा लिखी गईं टिप्पणियाँ हिंदी में हो। विभिन्न स्तर/क्रम में बढ़ने वाली फाइलों में तदन्सार कार्रवाई होती रहे एवं शीर्ष स्थान पर बैठे अधिकारियों द्वारा इन कार्मिकों का मनोबल बढ़ाने तथा अन्य को प्रेरित करने के उद्देश्य से यथासंभव संक्षिप्त अभ्यक्ति दी जाए, यथाप्रस्तावित, अनुमोदित, स्वीकृत, देखा, चर्चा करें, शीघ्र प्रस्त्त करें, परिपत्र परिचालित करें, सभी को अवगत कराएं, मसौदा प्रस्त्त करें इत्यादि। हिंदी भाषा (प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ (i) भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी 10. /पारंगत) तथा हिंदी टंकण/शब्द और सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि संसाधन प्रशिक्षण केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर/क्लर्क आदि के लिए हिंदी टंकण/शब्द संसाधन प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसे स्निश्चित करने हेत् उनके नियंत्रण अधिकारी/शाखा अधिकारी जाँच बिन्द् का कार्य करेंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि उन कर्मचारियों को हिंदी भाषा या हिंदी टंकण/शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। (ii) उपर्य्क्त प्रशिक्षण के लिए हिंदी अन्भाग द्वारा एक रोस्टर का रख-रखाव किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण हेत् यथोचित कार्रवाई एवं व्यवस्था की जा सके। निविदाएं शाखा अधिकारी (अभिलेख एवं सामान्य) ही जाँच 11. विज्ञापन, सूचना, में बिन्द् का कार्य करेंगे। पत्रों आदि समाचार दि्वभाषी* (हिंदी और अंग्रेजी) *यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हिंदी के छपवाना समाचार पत्रों में हिंदी में ही विज्ञापन दिए जाएं तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों में अंग्रेजी में विज्ञापन

		दिए जाएं। जब अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं, तो विज्ञापन के अंत में यह अवश्य उल्लेख कर दिया जाए कि "अधिसूचना/विज्ञापन/रिक्ति संबंधी परिपत्र" का हिंदी रूपांतर वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके लिए पूर्ण लिंक दिया जाए।
12.	इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक सुविधाएं	कम्प्यूटर, लैपटॉप आदि के संदर्भ में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे दि्वभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) हो। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, अधिकांश कम्प्यूटर युनिकोड समर्थित हैं। अतः इनके इन्स्टॉलेशन आदेश जारी करने वाले अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उन उपकरणों में हिंदी फॉन्ट सक्रिय किए गए हैं।
13.		तत्संबंधी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु हिंदी अधिकारी जाँच बिन्दु का कार्य करेंगे ताकि बैठक में कार्यालय प्रमुख/नामित अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।
14.	हिंदी डिक्टेशन	नजी सहायक/निजी सचिव/वरिष्ठ निजी सचिव रखे हुए उच्च अधिकारीगण जाँच बिन्दु का कार्य करेंगे।
15.	परीक्षा व प्रशिक्षण	संबंधित शाखा अधिकारी जाँच बिन्दु का कार्य करेंगे और इन कार्यों में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
16.	प्रतिवेदनों (रिपोर्ट- रिटर्न्स)/संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली से संबंधित सूचना राजभाषा अनुभाग को उपलब्ध करवाना	संबंधित अनुभाग/प्रकोष्ठ के शाखा अधिकारी जाँच बिन्दु का कार्य करेंगे।
17.		कार्यालय अध्यक्षा/ कार्यालय प्रमुख की अनुमति से इसे सुनिश्चित करने हेतु हिंदी अधिकारी जाँच बिन्दु का कार्य करेंगे।

18.	राजभाषा कार्यान्वयन समिति	कार्यालय अध्यक्ष/ कार्यालय प्रमुख की अनुमति से
	की बैठकें/ प्रशासनिक बैठकें	इसे सुनिश्चित करने हेतु हिंदी अधिकारी जाँच
	तथा कार्यवृत्त	बिन्दु का कार्य करेंगे।
19.	गृह पत्रिका "उदयाचल" का	कार्यालय अध्यक्षा/ प्रमुख की अनुमति से इसे
	प्रकाशन	सुनिश्चित करने हेतु हिंदी अधिकारी जाँच बिन्दु
		का कार्य करेंगे।
20.	राजभाषा प्रोत्साहन योजना	कार्यालय अध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख की अनुमति से
		इसे सुनिश्चित करने हेतु हिंदी अधिकारी जाँच
		बिन्दु का कार्य करेंगे।
21.	कार्यालय अध्यक्ष/ वरिष्ठतम	कार्यालय अध्यक्ष/ कार्यालय प्रमुख की अनुमति से
	अधिकारी की अध्यक्षता में	इसे सुनिश्चित करने हेतु हिंदी अधिकारी जाँच
	राजभाषा कार्यान्वयन समिति	बिन्दु का कार्य करेंगे।
	की तिमाही समीक्षा के आधार	
	पर अनुभागों का निरीक्षण तथा	
	हिंदी में सम्पूर्ण कार्य करने के	
	लिए अनुभागों/ प्रकोष्ठों को	
	विनिर्दिष्ट किया जाना	
22.	हिंदी में कार्य करने के लिए	कार्यालय अध्यक्षा/ कार्यालय प्रमुख की अनुमति से
	कार्यालय को अधिसूचित किया	इसे सुनिश्चित करने हेतु हिंदी अधिकारी जाँच
	जाना और नियम 8(4) का	बिन्दु का कार्य करेंगे।
	आदेश जारी करना	
23.	सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियाँ	सेवा पुस्तिका में हिन्दी में प्रविष्टियाँ दर्ज करने के
	{मुख्यालय निर्देश/ प्रश्नावली}	लिए संबंधित अनुभाग के सहायक लेखापरीक्षा
		अधिकारी/ शाखा अधिकारी ही जाँच बिन्दु का कार्य
		करेंगे।
24.	वेबसाइट का दि्वभाषीकरण	डी.ए.सी. कम्प्यूटर प्रभारी तथा शाखा अधिकारी
		जाँच बिन्दु का कार्य करेंगे।
25.	टेलीफ़ोन डायरेक्ट्री दिवभाषी	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (रिकार्ड) जाँच बिन्दु
	रूप म (१६६१ - आर अग्रजा म) जारी करना	का कार्य करेंगे।
26.	राजभाषा विभाग तथा	(i) संबंधित अनुभागों/प्रकोष्ठों से राजभाषा अनुभाग
		<u>में रिपोर्ट प्राप्त होने की अंतिम तिथि</u> - समाप्त
		तिमाही के अगले माह की 07 तारीख
I	ı	1

प्रगति रिपोर्ट तैयार करना	(अवकाश/शनिवार/रविवार होने की स्थिति में 10 तारीख) तक भिजवाने हेतु संबंधित शाखा अधिकारी जांच बिन्दु का कार्य करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उनके स्कंध/अनुभाग/कक्ष के आंकड़ें निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से राजभाषा अनुभाग को भेज दिए जाएँ, ताकि नियत तिथि तक कार्रवाई पूर्ण की जा सके। ii) राजभाषा विभाग को ऑनलाइन रिपोर्ट भेजना: हिंदी अधिकारी जाँच बिन्दु का कार्य करेंगे। iii) मुख्यालय को रिपोर्ट की प्रति तथा अनुपालना भेजना: हिंदी अधिकारी जाँच बिन्दु का कार्य करेंगे।
27 सामान्य जिम्मेदारी	राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अनुसार जो पत्र, परिपत्र आदि हिन्दी में या हिन्दी और अंग्रेजी में जारी होने चाहिए या जो प्रलेख हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किये जाने हो, वे उसी रूप में जारी किए जाएं। निदेशानुसार, यह देखने की जिम्मेदारी पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की है। अतः हस्ताक्षर करने से पूर्व ऐसे अधिकारी से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसे पत्र/ परिपत्र आदि हिन्दी में या दिवभाषी रूप में जारी किया जाना हैं।

सभी नियंत्रक अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वो अपने नियंत्रणाधीन संबंधित अनुभागों में हिंदी में हो रहे कार्य की निगरानी तथा उपरोक्त जाँच-बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग में सकारात्मक प्रगति हो सके।

उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- 1. महालेखाकार के निजी सचिव
- 2. उप महालेखाकार (प्रशा.), वरिष्ठ/उप महालेखाकार (I, II, III, IV) के निजी सहायक
- 3. नियंत्रक शाखा अधिकारी- प्रशासन, स्थापना- ।।, अभिलेख एवं सामान्य, डी.ए.सी.
- 4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी- डी.ए.सी., वेबसाईट (सब मॉड्यूल "राजभाषा" के अंतर्गत) पर अपलोड करने हेतु
- 5. गार्ड फाईल
- 6. सूचना पट्ट
- 7. सभी अनुभाग

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (राजभाषा अनुभाग)